माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
(दिसम्बर सत्र, 2026)

(दिनांक 07 दिसम्बर, 2026 से 11 दिसम्बर, 2026 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला चक्रानुक्रम विवरण

विभाग का नाम	प्रभारी मंत्री	उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक	
			ऑनलाईन	ऑफलाईन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वर्ग-1				
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री	07.12.2026	09.11.2026	10.11.2026
श्रम	श्रम मंत्री			
किसान कल्याण एवं कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री			
खेल एवं युवा कल्याण	खेल एवं युवा कल्याण मंत्री			
सहकारिता	सहकारिता मंत्री			
उच्च शिक्षा	उच्च शिक्षा मंत्री			
आयुष	आयुष मंत्री			
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)	तकनीकी शिक्षा मंत्री			
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)	राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	वर्ग-2			
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री			
गृह	----"----			
जेल	----"----			
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	----"----			
जनसम्पर्क	----"----			
नर्मदा घाटी विकास	----"----			
विमानन	----"----			
खनिज साधन	----"----			
लोक सेवा प्रबंधन	----"----			
प्रवासी भारतीय	----"----	08.12.2026	10.11.2026	11.11.2026
विधि एवं विधायी कार्य	----"----			
आनंद	----"----			
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	----"----			
वन	----"----			
पर्यावरण	----"----			
वित्त	उप मुख्यमंत्री, वित्त			
वाणिज्यिक कर	उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर			
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	उप मुख्यमंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी			
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री			
कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज्य मंत्री, कुटीर एवं ग्रामोद्योग			
	वर्ग-3			
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा			
राजस्व	राजस्व मंत्री			
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री			
परिवहन	परिवहन मंत्री			
स्कूल शिक्षा	स्कूल शिक्षा मंत्री	09.12.2026	11.11.2026	12.11.2026
संस्कृति	राज्य मंत्री, संस्कृति			
पर्यटन	राज्य मंत्री, पर्यटन			
धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व			
मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास	राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	वर्ग-4			
नगरीय विकास एवं आवास	नगरीय विकास एवं आवास मंत्री			
संसदीय कार्य	संसदीय कार्य मंत्री			
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री			
ऊर्जा	ऊर्जा मंत्री			
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री	10.12.2026	12.11.2026	13.11.2026
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राज्य मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण			
विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण	राज्य मंत्री, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण			
पशुपालन एवं डेयरी	राज्य मंत्री, पशुपालन एवं डेयरी			
	वर्ग-5			
जनजातीय कार्य	जनजातीय कार्य मंत्री			
लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन	लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन मंत्री			
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री			
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री			
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री	11.12.2026	15.11.2026	16.11.2026
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री			
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री			
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री			
अनुसूचित जाति कल्याण	अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री			

स्थान : भोपाल (म.प्र.)
दिनांक : 06.11.2026

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नोट :-

1. कृपया प्रश्न यथा समय टंकित कराकर देवें। साथ ही वर्ग, प्रश्न पूछने की बैठक का दिनांक, विभाग का नाम, विषय, "श्री....." में प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम, संबंधित मंत्री का पदनाम, सदस्य के हस्ताक्षर, क्षेत्र क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करने के साथ ही प्रश्न को आवश्यकतानुसार (क), (ख), (ग), (घ) इत्यादि भागों मे विभक्त करने का कष्ट करें।

2. कृपया उपर्युक्त चक्रानुक्रम चार्ट अनुसार प्रश्नों की सूचना **षोडश विधान सभा के लिये जारी प्रश्न प्रपत्र श्रृंखला 'घ'** के प्रपत्रों में ही टंकित कर विधान सभा सचिवालय को प्रेषित करें।

3. विवरण के स्तम्भ (3) से (5) में उल्लेखित दिनांक, स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग के लिए नियत है।

4. ऑफलाईन सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में (शासकीय अवकाश को छोड़कर) कार्यालय समय में 11.00 बजे **दिन से 4.30 बजे** दिन के बीच ही प्राप्त की जावेंगी तथा **ऑनलाईन सूचनाएं स्तम्भ (4) में उल्लेखित दिनांक को रात्रि 12.00 बजे तक प्राप्त की जावेंगी।**